# मुकदमा अपराध सख्या-02/2022 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018) व धारा-120बी भा0द0वि0

#### बनाम कमलेश्वर प्रसाद थपलियाल

# मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून सब-डिस्ट्रिक्ट-देहरादून संख्या-01/2022

घटना का दिनांक - 28.02.2022

समय 19:02 बजे

दिनांक व समय,	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से
जबकि रिपोर्ट की गई	<del>.</del>	भेजे जाने का दिनांक
28-02-2022	सैंट जोजेफ तिराहे से दिलाराम तिराहे की तरफ राजपुर रोड़ होटल	
04.10	बूलेवयो के सामने सचिवालय गेट के पास, देहरादून दिशा उत्तर दूरी	
	करीब 12 कि0मीटर	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले जायी	तहकीकात के सम्बन्घ में	मुकदमे
वाले वादी	निवास- स्थान	गयी सम्पति (यदि कोई हो का	जो कार्यवाही की गयी	का
का नाम व		संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने	परिणाम
स्थान			में देरी होने का कारण	
				_
निरीक्षक श्री	श्री कमलेश्वर प्रसाद	आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता श्री	सूचना पर तत्काल	तफ्तीश
मनाज रावत,	थपलियाल निवासी निकट	महेश चन्द्र अग्रवाल से उसके	अभियोग तफ्तीशी कायम	होकर
सतर्कता	भानियावाला तिराहा	रिटायरमेंट के उपरान्त विभागीय	व दर्ज किया गया, तफ्तीशी	
सैक्टर	भानियावाला हरिद्वार रोड़	देयकों को देने की एवज में	आदेशानुसार पुलिस	
देहरादून।	देहरादून हाल-सी-7	80000/- रूपये की मांग करना	अधीक्षक महोदय सर्त0	
	ऑफिसर कालोनी,	तथा 75000/- रूपये उत्कोच ग्रहण	सैक्टर देहरादून के निरी0	
	रेसकोर्स देहरादून हाल	करते गिरफ्तार होना। जुर्म धारा 7	श्री पवन कुमार सतर्कता	
	तैनाती समीक्षा अधिकारी	भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित	सैक्टर द्वारा की जायेगी।	
	सिंचाई विभाग, अनुभाग-	अधिनियम 2018) व 120बी		
	1 उत्तराखण्ड शासन	भा0द0वि0।		
	देहरादून आदि।			
	6/			

प्रथम सचना प	पष्ठ भाग में	लिखी र	<u>जायेगी।</u>
	ć		

हस्ताक्षर	एस0डी0

पद.....

Suptt. of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

#### मुकदमा अपराध संख्या 03/2022, धारा-7(इ)भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम राजकुमार पुत्र स्व0 श्री मंशाराम राजस्व निरीक्षक झबरेड़ा क्षेत्र तहसील रूड़की हरिद्वार।

### मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्ट्रिक्ट- देहरादून संख्या-02/2022

घटना का दिनांक - 08.04.2022

**समय**- 11:44 बजे

दिनांक व समय,	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से
जबकि रिपोर्ट की गई	-	भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 08.04.2022	आरोपी राजस्व निरीक्षक का कार्यालय तहसील रूड़की, दिशा जानिव	द्वारा विशेक वाहक
समय 21:15 बजे	दक्षिण थाने से दूरी लगभग 95 कि0मी0	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले जायी	तहकीकात के सम्बन्घ में	मुकदमे
वाले वादी	निवास- स्थान	गयी सम्पति (यदि कोई हो का	जो कार्यवाही की गयी	का
का नाम व		संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने	परिणाम
स्थान			में देरी होने का कारण	
श्रीमती नूतन	श्री राजकुमार पुत्र स्व0 श्री	आरोपी द्वारा शि0कर्ता से सरकारी	सूचना पर तत्काल	तफ्तीश
पंवार	मंशाराम, निवासी- ग्राम	कार्य करने की एवज में पारितोषिक	अभियोग तफ्तीशी कायम	होकर
निरीक्षक	प्रतीतपुर पो0ओ0-	की मांग करना तथा रूपये	व दर्ज किया गया, तफ्तीशी	
सतर्कता	धर्मावाला थाना-सहसपुर	15000/- रूपये रिश्वत ग्रहण करते	आदेशानुसार पुलिस	
सैक्टर	जनपद -देहरादून हाल-	गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7(इ)डी		
देहरादून।	राजस्व निरीक्षक क्षेत्र	•		
6	झबरेड़ा तहसील रूड़की	. ` ′	श्रीमतीविभावर्मा द्वारा	
	जनपद हरिद्वार।	-300 (	की जायेगी।	
	arra (ararr			

			7.	$\sim$	0	, ·	١.
प्रथम सचना	ग्रष	n111	T	Tal.	ता	त्ताराग	TI
त्रयम सूयमा	70	41.1	П	171	Эı	ગામગ	ч

हस्त	ध्य	Ţ	T.	III	∩ਵੰ	ì٢
060	ાલા	۲	٠٧	লে	いら	ıv

पद.....

Suptt. of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

#### मुकदमा अपराध सख्या-04/2022 धारा ७ भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

### बनाम सन्दीप कुमार शर्मा

### मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून सब-डिस्ट्रिक्ट-देहरादून संख्या-03/2022

घटना का दिनांक - 6.04.2022

समय 12:45 बजे

दिनांक व समय,	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से
जबकि रिपोर्ट की गई	•	भेजे जाने का दिनांक
16.04.2022	आरोपी एस0डी0ओ0 का कार्यालय विद्युत वितरण उपखण्ड	द्वारा विशेक वाहक
21:50 बजे	जगजीतपुर हरिद्वार दिशा जानिव दक्षिण स्टेशन (थाने) से दूरी लगभग	
	60 कि0मी0।	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले जायी	तहकीकात के सम्बन्ध में	मुकदमे
वाले वादी	निवास- स्थान	गयी सम्पति (यदि कोई हो का	जो कार्यवाही की गयी	का
का नाम व		संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने	परिणाम
स्थान			में देरी होने का कारण	
निरीक्षक श्री	श्री सन्दीप कुमार शर्मा पुत्र	•	सूचना पर तत्काल	तफ्तीश
पवन कुमार,	श्री प्रेमदत्त शर्मा, नि0-	सरकारी कार्य करने की एवज में	तफ्तीशी कायम व दर्ज	होकर
सतर्कता	26डी0वी0सी0 कालोनी	शिकायतकर्ता श्री महेश कुमार से	किया गया, तफ्तीशी	
सैक्टर	मालसी देहरादून हाल-	रू0 20,000/- रिश्वत ग्रहण करते	आदेशानुसार पुलिस	
देहरादून।	एस0डी0ओ0 विद्युत	गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7	अधीक्षक महोदय सर्त0	
•	वितरण उपखण्ड		सैक्टर देहरादून के निरी0	
	जगजीतपुर कनखल	अधि0 2018)	श्री गणेश सिंह कुटियाल	
	हरिद्वार।		सतर्कता मु0, द्वारा की	
			जायेगी।	

ग्रताथा	एस0डी0
१स्तादार	୯સઇકાઇ

पद		
79	 	 

Suptt. of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

### मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

**थाना-** सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक— देहरादून संख्या—05/2022

#### घटना का दिनांक व समय-10/05/2022

समय- 12.30 बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
	स्टेशन से दूरी	
10/05/2022	सैनीपुरम कालोनी तिराहा मेन रोड़	द्वारा विशेष वाहक
19.05	हरिद्वार, रुड़की जनपद हरिद्वार दिशा	
	जानिब दक्षिण थाने से दूरी करीब 100	
	किलोमीटर -	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिऐ और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास –स्थान	जायी गयी सम्पत्ति (यदि	तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी	9
		विवरण)	होने का कारण	
निरीक्षक श्री	श्री नरेश कुमार सैनी S/O	आरोपी श्री नरेश कुमार सैनी	सूचना पर तत्काल मुकदमा	तफ्तीश होकर
गणेश सिंह		द्वारा सरकारी कार्य करने के		
कुटियाल,	निवासी-सैनीपुरम	एवज में शिकायतकर्ता श्री	गया। तफ्तीश आदेशानुसार	
संतर्कता	कालोनी, शेरपुर हरिद्वार	प्रदीप कुमार से 4000/- रुपये	श्रीमान पुलिस अधीक्षक सर्त0	
मुख्यालय	रोड़, रुड़की जनपद	रिश्वत ग्रहण करते हुए गिरफ्तार	सैक्टर देहरादून महोदय के	
देहरादून जनपद	हरिद्वार, हाल-राजस्व	होना जुर्म धारा 7-	निरी0 श्री सत्य प्रकाश शर्मा	
देहरादून	उपनिरीक्षक क्षेत्र अहमदपुर	भ्र अधिनियम0नि0	(सतर्कता मुख्यालय) द्वारा की	
	ग्रन्ट बोड़ाहेड़ी तहसील	)1988संशोधित अधि 0	जायेगी।	
	हरिद्वार जनपद हरिद्वार	(2018		

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

ਧਫ-----

Suptt. of Police Vigilence Estt. Dehradun Sector, Uttarakhand

### मु0अ0सं0-07/2022 धारा-07 भ्र0नि0अधिनियम 1988(संशोधित अधि0 2018) बनाम श्री मोतीलाल राजस्व निरीक्षक, तहसील डोईवाला देहरादून

### मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर देहरादून सब-डिस्ट्रिक्ट-देहरादून संख्या-06/2022

घटना का दिनांक - 08.06.2022

समय 12:05 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	9	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
दिनांक 08.04.2022	आरोपी का कार्यालय कक्ष तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून दिशा	द्वारा विशेक वाहक
समय 18.45बजे	जानिव-पूरब स्टेशन से दूरी लगभग-22 कि0मी0	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

प्रस्ता देने वाले वादी का नाम व स्थान   श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री वर्मा निरी0 शास्त्रीन हिमेट शास्त्रीन का मार्केट शास्त्रीनगर सैक्टर जनपद- देहरादून।   श्रीईवाला जनपद देहरादून।   श्रीधित 302018)   प्राच्यालय द्वारा की जायेगी।   प्रस्ति अपराध वाले जायी तहकीकात के सम्बन्ध में मुकदमे का		1, 64(1141/ 4) 81/1 61/11 4116			
वाले वादी का नाम व संक्षिप्त विवरण)  श्रीमती विभा श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री शाक्षीनगर कार्य करने की एवज में रूपये निर्माण पत्रिया महोदय जनपद- राजस्व निरीक्षक तहसील वेहरादून डोईवाला जनपद देहरादून।  श्रीमती वास-स्थान संक्षिप्त विवरण)  गयी सम्पति (यदि कोई हो का जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण  गरिणाम संक्षिप्त विवरण)  श्रीमती विभा श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री शारोपी श्री मोतीलाल द्वारा सूचना पर तत्काल मुकदमा तफ्तीश होकर निर्माण प्राक्षिक निर्माण प्राप्त कार्य करने की एवज में रूपये तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय सर्तिण सैक्टर दे0दून के वेहरादून इंडीईवाला जनपद देहरादून। भ्राणनिणअधिण 1988 (संशोधित कुटियाल सर्तर्कता	1	2	3	4	5
संक्षिप्त विवरण)  संक्षिप्त विवरण)  संक्षिप्त विवरण)  संक्षिप्त विवरण)  संक्षेप्त विवरण)  स्थान  संक्षेप्त विवरण)  स्थान  संक्षेप्त विवरण)  स्थान  संक्षेप्त विवरण)  स्थान  संक्षेप्त विवरण)  स्या सूचना के दर्ज करने परिणाम  में देरी होने का कारण  स्या सूचना पर तत्काल मुकदमा तफ्तीश  होकर  सार्कता  सार्कता  मार्केट शास्त्रीनगर कार्य करने की एवज में रूपये जवालापुर हरिद्वार हाल- जनपद- उवालापुर हरिद्वार हाल- राजस्व निरीक्षक तहसील करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7 देहरादून  डोईवाला जनपद देहरादून।  अधि0 2018)  स्या सूचना के दर्ज करने प्रचा पर तत्काल मुकदमा कायम व दर्ज किया गया, होकर  प्रिलेस अधीक्षक महोदय सर्ति० सैक्टर दे0दून के भ्रि0नि0अधि0 1988 (संशोधित कुटियाल सर्तर्कता	सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले जायी	तहकीकात के सम्बन्ध में	मुकदमे
भीमती विभा श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री वर्मा तिरी0 शिकलचंद नि0- न्यू शिव शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध कायम व दर्ज किया गया, होकर मिक्टर ज्वालापुर हिरद्वार हाल- राजस्व निरीक्षक तहसील करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7 देहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। भ0न0अधि0 1988 (संशोधित कुटियाल सतर्कता	वाले वादी	निवास- स्थान	गयी सम्पति (यदि कोई हो का	जो कार्यवाही की गयी	का
श्रीमती विभा श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री आरोपी श्री मोतीलाल द्वारा सूचना पर तत्काल मुकदमा तफ्तीश वर्मा निरी0 शिकलचंद नि0- न्यू शिव शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध कायम व दर्ज किया गया, होकर मार्केट शास्त्रीनगर कार्य करने की एवज में रूपये तफ्तीशी आदेशानुसार जवालापुर हिरद्वार हाल- 10,000/- उत्कोच धनराशि ग्रहण पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद- राजस्व निरीक्षक तहसील करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7 सर्त0 सैक्टर दे0दून के देहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित कुटियाल सतर्कता	का नाम व		संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने	परिणाम
वर्मा निरी0 शिकलचंद नि0- न्यू शिव सतर्कता मार्केट शास्त्रीनगर कार्य करने की एवज में रूपये तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस जिस्तर विहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। अधि0 2018) शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध कायम व दर्ज किया गया, होकर तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर दे0दून के किरादून अधि0 2018)	स्थान			में देरी होने का कारण	
वर्मा निरी0 शिकलचंद नि0- न्यू शिव सतर्कता मार्केट शास्त्रीनगर कार्य करने की एवज में रूपये तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस जिस्तर विहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। अधि0 2018) शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध कायम व दर्ज किया गया, होकर तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर दे0दून के किरादून अधि0 2018)					
वर्मा निरी0 शिकलचंद नि0- न्यू शिव सतर्कता मार्केट शास्त्रीनगर कार्य करने की एवज में रूपये तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस जिस्तर विहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। अधि0 2018) शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध कायम व दर्ज किया गया, होकर तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर दे0दून के किरादून अधि0 2018)					
सतर्कता मार्केट शास्त्रीनगर कार्य करने की एवज में रूपये तफ्तीशी आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय पाजस्व निरीक्षक तहसील डोईवाला जनपद देहरादून। भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित कुटियाल सतर्कता	श्रीमती विभा	श्री मोतीलाल पुत्र स्व0 श्री	आरोपी श्री मोतीलाल द्वारा	सूचना पर तत्काल मुकदमा	तफ्तीश
सैक्टर ज्वालापुर हरिद्वार हाल- जनपद- देहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। प्राजस्व निरीक्षक तहसील अधि0 2018) पुलिस अधीक्षक महोदय सर्त0 सैक्टर दे0दून के निरी0 श्री गणेश सिंह कुटियाल सतर्कता	वर्मा निरी0	शिकलचंद नि0- न्यू शिव	शि0कर्ता श्री सुशील कुमार से वैध	कायम व दर्ज किया गया,	होकर
जनपद- देहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। भ0नि0अधि0 1988 (संशोधित क्रिटियाल सतर्कता	सतर्कता	मार्केट शास्त्रीनगर	कार्य करने की एवज में रूपये	तप्तीशी आदेशानुसार	
देहरादून डोईवाला जनपद देहरादून। भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित निरी0 श्री गणेश सिंह अधि0 2018) कुटियाल सतर्कता	सैक्टर	ज्वालापुर हरिद्वार हाल-	10,000/- उत्कोच धनराशि ग्रहण	पुलिस अधीक्षक महोदय	
अधि0 2018) कुटियाल सतर्कता	जनपद-	राजस्व निरीक्षक तहसील	करते गिरफ्तार होना जुर्म धारा-7	सर्त0 सैक्टर दे0दून के	
	देहरादून	डोईवाला जनपद देहरादून।	भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित	निरी0 श्री गणेश सिंह	
मुख्यालय द्वारा की जायेगी।			अधि0 2018)	कुटियाल सतर्कता	
				मुख्यालय द्वारा की जायेगी।	

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।	हस्ताक्षरएस0डी0
	पद

Suptt. of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

### मुकदमा अपराध संख्या 9/2022 धारा 7 भ्र0नि0अधि0 (संशोधन)2018 बनाम राजेश कुमार मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना-सतर्कता सैक्टर देहरादून। सब-डिस्ट्रिक्ट- देहरादून संख्या-8/2022

घटना का दिनांक -29.10.2022

समय-20:50बजे

समय जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का
	स्टेशन से दूरी	दिनांक
दिनांक 29.10.2022 समय	रजिस्ट्रार कार्यालय कमर नं0 5	द्वारा विशेष वाहक
23:55 बजे	तहसील ज्वालापुर जनपद हरिद्वार	
	दिशा दक्षिण दूरी करीब 68 कि0मी0	

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण)	त्हकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज	मुकदमे का परिणाम
			करने में देरी होने का कारण	
श्रीमती किरन असवाल, निरीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून	राजेश कुमार पुत्र स्व0 बलदेव राज, हाल रिजस्ट्रार कानूनगो तहसील ज्वालापुर जनपद हरिद्वार निवासी म0नं0 140 गली नं0 02 अम्बेडकरनगर ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार।	आरोपी श्री राजेश कुमार द्वारा सरकारी कार्य करने के एवज में शिकायतकर्ता संजय सिंह से 2800/- रूपये रिश्वत ग्रहण करते हुये गिरफ्तार होना जुर्म धारा 7 भ्र0नि0धि0 1988 (संशोधित अधि0 2018)	सूचना पर तत्काल मुकदमा तफ्तीशी कायम व दर्ज किया गया तफ्तीशी आदेशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर देहरादून महोदय के निरी0 श्रीमती नूतन पंवार द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।	हस्ताक्षरएस0डी0
	पद

Suptt. of Police VigilenceEstt. Dehradun Sector, Uttarakhand

### मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

**थाना-** सतर्कता सैक्टर देहरादून सब डिस्टिक— देहरादून संख्या—10/2022

#### घटना का दिनांक व समय-01/12/2022

समय- 14.15 बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
01/12/2022	कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति	द्वारा विशेष वाहक
21.45	रुड़की, जनपद हरिद्वार दिशा जानिब	
	दक्षिण थाने से दूरी करीब 80	
	किलोमीटर	

नोटः प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का चिन्ह लेने चाहिऐ और इसकी पुष्ठि गवाही लिखने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले	अभियुक्त का नाम व निवास –	धारा सहित अपराध	तहकीकात के सम्बन्ध में	मुकदमें का
वादी का नाम व	स्थान	वाले जायी गयी	जो कार्यवाही की गयी	परिणाम
स्थान		सम्पत्ति (यदि कोई हो	तथा सूचना के दर्ज करने	
		का संक्षिप्त विवरण)	में देरी होने का कारण	
श्री तुषार बोरा,	शिवमूर्ति सिंह S/o स्व0 श्री जय	आरोपी द्वारा सरकारी	सूचना पर तत्काल मुकदमा	तफ्तीश होकर
निरीक्षक सतर्कता	नारायण सिंह निवासी-ग्राम	कार्य करने के एवज में	तप्तीशी कायम व दर्ज	
अधिष्ठान देहरादून	खपटिया थाना हडिंया त0 हडिंया	शिकायतकर्ता श्री पंकज	किया गया। तफ्तीश	
3,	जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश,	कुमार से 30,000/- रुपये	आदेशानुसार श्रीमान	
	हाल-म0न0 05 टाईप 2 मण्डि	रिश्वत ग्रहण करते हुए	पुलिस अधीक्षक सतर्कता	
	समिती कालोनी थाना ज्वालापुर	गिरफ्तार होना जुर्म धारा	सैक्टर देहरादून महोदय के	
	हरिद्वार हाल तैनाती- मण्डी	7- भ्र अधिनियम0नि0	निरी0 श्रीमती किरन	
	निरीक्षकड कृषि उत्पादन मण्डी	)1988संशोधित अधि 0	असवाल द्वारा की जायेगी।	
	समिति कार्यालय, रामपुर चुंगी	(2018		
	रुड़की हरिद्वार।			

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर-----एस0डी0

पद-----

Suptt. of Police Vigilence Estt. Dehradun Sector, Uttarakhand

#### म्ल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि

### मुकदमा अपराध संख्या 01/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम लालदेव प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी संख्या-01/2022

घटना का दिनांक व समय- 11.05.

2022

समय- 16:53

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का
	स्टेशन से दूरी	दिनांक
दिनांक 12.05.2022	ग्राम बकैनिया स्थित विजयप्रकाश पाण्डेय	डाक से
समय 01:05 बजे	का घर, थाने से दिशा दक्षिण पश्चिमख् थाने	
	से दूरी लगभग 55 कि0मी0।	

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले	अभियुक्त का नाम व निवास-	धारा सहित अपराध	तहकीकात के	मुकदमे
वादी का नाम व	स्थान	वाले जायी गयी	सम्बन्घ में जो	का
स्थान		सम्पति (यदि कोई	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		हो का संक्षिप्त	तथा सूचना के दर्ज	
		विवरण)	करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक भानु	लालदेव पुत्र श्री झगडूप्रसाद निवासी	अभियुक्त द्वारा	वादी की तहरीर पर	तफ्तीश
प्रकाश आर्य	ग्राम आर्यनगर गुमत्या पो0ओ0	शिकायतकर्ता से उसके	मुकदमा तफ्तीशी कायम	होकर
सतर्कता अधिष्ठान	गदरपुर जनपद ऊधमसिंहनगर हाल	ट्यूवेल का तार जोड़ने	किया गया। पु0अ0	
सैक्टर नैनीताल	लाईनमैन विद्युत विभाग उपखण्ड	के एवज में आठ हजार	महोदय के आदेशानुार	
हल्द्वानी	रूद्रपुर-द्वितीय खण्ड गदरपुर	रूपये की मांग करना	तफ्तीश निरी0 हेमा	
	-	तथा मौके पर उत्कोच	गुणवन्त द्वारा की	
		ग्रहण करते हुये पकड़ा	जायेगी।	
		जाना। जुर्म धारा भ्र0नि0		
		अधि0 1988		
		(संशोधित 2018)।		

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।

#### मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि

### मुकदमा अपराध संख्या 02/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम देवनाथ मिश्रा। प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी संख्या-02/2022

घटना का दिनांक व समय- 02.06.

2022

समय- 11:40

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का	
	स्टेशन से दूरी	दिनांक	
दिनांक 02.06.2022	नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी स्थित आरोपी	डाक से	
समय 19:05 बजे	का कक्ष, थाने से दिशा दक्षिण-पश्चिम, दूरी		
	लगभग 65 कि0मी0		

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले वादी का नाम व स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई	सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का	मुकदमे का परिणाम
निरीक्षक चंचल शर्मा सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी	निवासी केशवपुरम निकट गोमती	उसके बिलों का भुगतान एवं पास करने के एवज में रिश्वत की मांग करना	कारण वादी की तहरीर पर मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुार तफ्तीश निरी0 भानु प्रकाश आर्य द्वारा की जायेगी।	तफ्तीश होकर

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।

#### मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि

### मुकदमा अपराध संख्या 03/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम दिनेश कुमार। प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी संख्या-03/2022

घटना का दिनांक व समय- 15.06.

2022

समय- 02:00

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का
	स्टेशन से दूरी	दिनांक
दिनांक 15.06.2022	तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के	डाक से
समय 20:00 बजे	कार्यालय में स्थित आरोपी के कार्यालय	
	का कक्ष, थाने से दिशा पश्चिम दूरी 60	
	कि0मी0	

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले	अभियुक्त का नाम व निवास-	धारा सहित अपराध	तहकीकात के	मुकदमे
वादी का नाम व	स्थान	वाले जायी गयी	सम्बन्ध में जो	का
स्थान		सम्पति (यदि कोई	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		हो का संक्षिप्त	तथा सूचना के दर्ज	
		विवरण)	करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक मनोहर	दिनेश कुमार पुत्र श्री खतेराम सिंह	अभियुक्त द्वारा	वादी की तहरीर पर	तफ्तीश
सिंह दसौनी	निवासी ग्राम बहोले वाला पो0 महुवा	शिकायतकर्ता भूरेखा से	मुकदमा तफ्तीशी कायम	होकर
सतर्कता अधिष्ठान	खेड़ा थाना आई0टी0आई0 जनपद	किसानों के खेतों से	किया गया। पु0अ0	
सैक्टर नैनीताल	ऊधमसिंहनगर हाल वैयक्तिक	लिये गये पेड़ों के कटान	महोदय के आदेशानुार	
हल्द्वानी	सहायक, प्रभागीय वनाधिकारी तराई	की अनुमति पर रिपोर्ट	तफ्तीश निरी0 हेम चन्द्र	
	पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर नैनीताल	लगाने के एवज में रिश्वत	पाण्डेय द्वारा की जायेगी।	
		की मांग करना तथा		
		मौके पर 12,000/-		
		रूपये की उत्कोच ग्रहण		
		करते हुए पकड़ा जाना।		
		जुर्म धारा भ्र0नि0		
		अधि0 1988		
	7.0 0 7.0	(संशोधित 2018)।		- 0 -

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी। हस्ताक्षर......एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।

### मूल/दितीय/तृतीय प्रतिलिपि

### मुकदमा अपराध संख्या 04/2022, धारा-7 भ्र0नि0अधि0 1988 (संशो0अधि0 2018) बनाम अशरफ अली प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी सब डिस्ट्रिक्ट- हल्द्वानी संख्या-04/2022

घटना का दिनांक व समय- 23.07.

2022

समय- 14:05

बजे

दिनांक समय, जबकि रिपोर्ट की गई	, ,	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का
	स्टेशन से दूरी	दिनांक
दिनांक 23.07.2022	ग्राम बिष्टी (पटिया) स्थित शिकायतकर्ता	डाक से
समय 20:15 बजे	के घर का कमरा थाने से दिशा पूरब दक्षिण	
	थाने से दूरी 64 किमी	

नोट:- प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं अगूठे का चिन्ह लेने चाहिए और इसकी पुष्ठि गवाही लेने वाले पद अधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होनी चाहिए।

सूचना देने वाले	अभियुक्त का नाम व निवास-	धारा सहित अपराध	तहकीकात के	मुकदमे
वादी का नाम व	स्थान	वाले जायी गयी	सम्बन्ध में जो	का
स्थान		सम्पति (यदि कोई	कार्यवाही की गयी	परिणाम
		हो का संक्षिप्त	तथा सूचना के दर्ज	
		विवरण)	करने में देरी होने का	
			कारण	
निरीक्षक चंचल	अशरफ अली पुत्र शहादत अली	अभियुक्त द्वारा	वादी की तहरीर पर	तफ्तीश
शर्मा सतर्कता	निवासी ग्राम ककरोआ थाना	शिकायतकर्ता श्री	मुकदमा तफ्तीशी कायम	होकर
अधिष्ठान सैक्टर	शहजादनगर तहसील सदर रामपुर	सुखदेव सिंह से उसकी	किया गया। पुलिस	
नैनीताल हल्द्वानी	(उ0प्र0) हाल तैनाती सर्वे, कानूनगों,	जमीन का दाखिल		
	बन्दोबस्ती, तहसील सितारगंज जनपद	खरिज करने के एवज में	आदेशानुार तफ्तीश	
	ऊधमसिंहनगर	रिश्वत की मांग करना	निरी0 हेमा गुणवन्त द्वारा	
			की जायेगी।	
		रू0 की उत्कोच के		
		साथ पकड़ा जाना जुर्म		
		धारा भ्र0नि0 अधि0		
		1988 (संशोधित		
		2018)I		

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....पुलिस अधीक्षक,

उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।

....., <

# मुकदमा अपराध सख्या-05/2022 धारा ७ भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

#### बनाम बनवारीलाल

# मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी

सब-डिस्ट्रिक्ट- नैनीताल

संख्या-05/2022

घटना का दिनांक -05-08-22

समय 12:40 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
05.08.2022	तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्यालय, थाने से दिशा	डाक से
17: 20 बजे	उत्तर तथा दूरी 2.5 किमि	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1 सूचना देने वाले वादी	2 अभियुक्त का नाम व निवास- स्थान	3 धारा सहित अपराध वाले जायी गयी सम्पति (यदि कोई हो का	4 तहकीकात के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी	5 मुकदमे का
का नाम व स्थान		संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	परिणाम
निरीक्षक चंचल शर्मा, सतर्कता सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी।	सिल्वर स्टेट कालोनी,	जफर खान से उसकी जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग करना तथा मौके पर 10,000/- रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा जाना जुर्म धारा-7	मुकदमा तफ्तीशी कायम किया गया। पु0 अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार तफ्तीश निरी0 विनोद	तफ्तीश होकर

प्रथम सचना	पष्ठ भ	ग में ि	नखी जा	येगी।	
	ć				

हस्ताक्षर	एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।

#### मुकदमा अपराध सख्या-07/2022 धारा ७ भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

#### बनाम आनन्द चन्द

### मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी सब-डिस्ट्रिक्ट- नैनीताल संख्या-07/2022

घटना का दिनांक -10-08-2022

समय 14:20 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
10/08/2022	घटना स्थल रुद्रपुर स्थित चकबंदी अधिकारी का कार्यालय थाने से	द्वारा विशेक वाहक
19:36	दिशा-दक्षिण दूरी लगभग 32 कि0मी0	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले जायी गयी	तहकीकात के सम्बन्घ में	मुकदमे
वाले वादी	निवास- स्थान	सम्पति (यदि कोई हो का संक्षिप्त	जो कार्यवाही की गयी	का
का नाम व		विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने	परिणाम
स्थान			में देरी होने का कारण	
निरीक्षक श्री	श्री आनंद चन्द उम्र 45 वर्ष	अभि0 द्वारा शिकायतकर्ता नईम खान से	दाखिला फर्द के आधार पर	तफ्तीश
चंचल शर्मा,	स्व0 श्री वीजाराम नि0 ग्राम	उसकी जमीन की दाखिल खारिज करने के	थाना हाजा में मुकदमा	होकर
सतर्कता	सुनारा पो0 नौगांव तहसील	एवज में रिश्वत की मांग करना तथा मौके	तफ्तीशी पंजीकृत किया	
सैक्टर	बडकोट थाना पुरोला जनपद	पर 3000/- रुपये की उत्कोच के साथ	गया श्रीमान पुलिस	
हल्द्वानी।	उत्तरकाशी हाल निकट गंगा	पकड़ा जाना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0	अधीक्षक महोदय के	
	सोसायटी मण्डी बेडीया	1988 (संशोधित अधि0 2018) की हद	आदेशानुसार तफ्तीश	
	किच्छा जनपद उधमसिहनगर	को पहुचता है।	निरी0 मनोहर सिंह दसौनी	
	हाल अनुसेवक प्रभारी		के सुपुर्द की गई।	
	पेशकार चकबंदी अधिकारी			
	रुद्रपुर/किच्छा/UDN			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।

### मुकदमा अपराध सख्या-08/2022 धारा ७ भ्र0नि0अधि0 1988 (संशोधित धारा 2018)

### बनाम अब्दुल हबीब

### मूल/द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि प्रथम सूचना की रिपोर्ट

थाना- सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल हल्द्वानी सब-डिस्ट्रिक्ट- नैनीताल संख्या-08/2022

घटना का दिनांक - 28-09-2022

समय 17:10 बजे

दिनांक व समय, जबकि रिपोर्ट की गई	घटना स्थल, दिशा और पुलिस स्टेशन से दूरी	पुलिस स्टेशन से भेजे जाने का दिनांक
29/09/2022	घटना स्थल तहसील परिसर मोलेखाल स्थित भूलेख कम्पयूटर कक्ष	डाक से
समय-00:20	थाने से दूरी लगभग 108 किमी दिशा जानिब उत्तर पश्चिम	

नोट-प्रथम सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह लेना चाहिये और इसकी पुष्टि गवाही लिखनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के द्वारा होना चाहिए।

1	2	3	4	5
सूचना देने	अभियुक्त का नाम व	धारा सहित अपराध वाले जायी	तहकीकात के सम्बन्घ में	मुकदमे
वाले वादी	निवास- स्थान	गयी सम्पति (यदि कोई हो का	जो कार्यवाही की गयी	का
का नाम व		संक्षिप्त विवरण)	तथा सूचना के दर्ज करने	परिणाम
स्थान			में देरी होने का कारण	
निरीक्षक	अभि0 अब्दुल हबीब s/o	अभि0 द्वारा शिकायतकर्ता हिमांशु	दाखिला फर्द के आधार पर	तफ्तीश
चंचल शर्मा,	श्री अब्दुल हमीद निवासी-	जोशी से जमीन की दाखिल	थाना हाजा में मुकदमा	होकर
सतर्कता	स्वामी विहार गौजाजाली	खारिज कराने के एवज में रिश्वत की	तफ्तीशी पंजीकृत किया	
सैक्टर	बरेली रोड़ हल्द्वानी जनपद	मांग करना तथा मौके पर 10000/-	गया श्रीमान पुलिस	
नैनीताल	नैनीताल हाल निवासी	रुपये की उत्कोच के साथ पकड़ा	अधीक्षक महोदय के	
हल्द्वानी।	तहसील सल्ट कार्यालय	जाना जुर्म धारा-7 भ्र0नि0अधि0	आदेशानुसार तफ्तीश	
	परिसर, मौलेखाल जनपद	1988 (संशोधित अधि0 2018)	निरी0 भानु प्रकाश आर्य के	
	आयु 50 वर्ष तथा हाल	की हद को पहुचता है।	सुपुर्द की गई।	
	तैनाती रजिस्ट्रार कानूनगो	, and the second		
	तहसील सल्ट।			

प्रथम सूचना पृष्ठ भाग में लिखी जायेगी।

हस्ताक्षर.....एस0डी0

पद.....

पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान, नैनीताल सैक्टर, हल्द्वानी।